

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियमन प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर
छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियमन प्राधिकरण
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 23/2020

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : Smt. Anilamma Patel vs लक्ष्मण-६९-८१७ CGRERA-P-Exc.m.PRo-2020-00998

27-11-21

आवेदक श्री शुक्ला अधि।

अनावेदक द्वारा श्री बंजारे अधि।

प्रकरण आज आर.आर.सी. जारी किये जाने हेतु नियत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि माननीय प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11.09.2020 को आदेश पारित कर अनावेदक द्वारा रु. 10,23,500 की कुल राशि दो माह के भीतर, आवेदक को, भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया। माननीय अपील अधिकरण के आदेश के पालन में, अपील पेश करते समय जमा की गई, कुल राशि रु. 3,07,050 आवेदक को प्रदान की जा चुकी है। शेष बकाया राशि रु. 7,16,450 आज दिनांक तक अनावेदक द्वारा आवेदक को प्रदान नहीं की गई है।

अनावेदक ने आवेदक को आदेशित राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसी दशा में आदेशित राशि की वसूली हेतु धारा- 40(1) छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016, एवं अंतर्गत नियम 25 छ.ग. भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम 2017. के तहत आर.आर.सी. जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः Rs. 7,16,450 (सात लाख सोलह हजार चार सौ पचास रु. मात्र) की वसूली हेतु आर.आर.सी. कलेक्टर महोदय को इस टीप के साथ जारी की जावे कि वे वसूल की गई उपरोक्त राशि को प्राधिकरण में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। आर.आर.सी. तामिली हेतु रजिस्ट्रार महोदय को प्रेषित की जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त। प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियमन प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

27/11/21